



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272]
No. 272]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 19, 1995/ज्येष्ठ 29, 1917
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 19, 1995/JYAISTHA 29, 1917

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जून, 1995

सा.का.नि. 509 (अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किरोसिन (उपयोग पर निर्वंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम किरोसिन (उपयोग पर निर्वंधन और अधिकतम कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश, 1995 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. किरोसिन (उपयोग पर निर्वंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 में,—

(i) खंड 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित खंड और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“7क—समानांतर विपणनकर्ता का निर्धारण और प्रमाणित-करण/रेटिंग—

- (1) (क) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता, इस आदेश की अनुसूची-क में सूचीबद्ध अभिकरण से, अपनी क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और वस्तिक कारदार करने की तत्परता के लिए मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किरोसिन के कारदार से संबंधित कोई क्रियाकलाप जैसे आयात, परिवहन कूच भरण विपणन, वितरण, विक्रय या इसके समनुवर्गी क्रियाकलाप प्रारम्भ नहीं करेगा और वचनबद्ध माल तथा सेवाएं परिदत्त नहीं करेगा।

परन्तु यह कि कोई ऐसा समानांतर विपणनकर्ता, जो ऐसा क्रियाकलाप, इस आदेश के प्रारम्भ के पहले, प्रारम्भ कर देता है, तीन मास के भीतर उक्त अभिकरण द्वारा स्वयं का मूल्यांकन और अपनी रेटिंग तय करेगा।

(ख) रेटिंग प्रमाणपत्र इस आदेश की अनुसूची-ख में विहित किए गए प्रहस में और अनुसूची-ग में दिए गए अग्रपेण पत्र के अनुसार जारी किया जाएगा।

(ग) रेटिंग प्रमाणपत्र,—

- (i) जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, और
- (ii) रेटिंग अभिकरण द्वारा प्रतिवर्ष नवीकरण के लिए अपेक्षित होगा।
- (2) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता जो किसी समाचारपत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट, पत्रियों द्वारा या संचार के अन्य साधनों या विज्ञापन द्वारा किरासिन के आयात, परिवहन, कूपभरण विपणन, वितरण या विक्रय के क्षेत्र में अपने क्रियाकलाप के व्यौरों की उद्घोषणा करता है या किसी प्रकार की प्रस्थापनाएं आनंजित करता है, उसे दिए गए रेटिंग को उपदर्शित करेगा और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित करेगा।
- (3) किसी रेटिंग अभिकरण को, प्रत्येक आवेदन के संबंध में निम्नलिखित संदाय किया जाएगा,—
- (i) समानांतर विपणनकर्ता को दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए, पचास हजार रुपये की निम्नतम और दस लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत के 0.05 प्रतिशत की दर पर फीस, और
- (ii) समानांतर विपणनकर्ता द्वारा रेटिंग प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए ऐसे प्रमाणपत्र के संबंध में संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित फीस का दसवां भाग।
- (4) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए सूचीबद्ध अभिकरण, समानांतर विपणनकर्ता द्वारा फीस का संदाय किए जाने पर, ऐसे समानांतर विपणनकर्ता का, जिसका मामला उसे निर्दिष्ट किया गया है या जिसने उससे संपर्क किया है, अन्य बातों के साथ-साथ इस आदेश की अनुसूची-घ में दिए गए प्रोफार्मा में ऐसे समानांतर विपणनकर्ता द्वारा उपदर्शित मापदंडों और दी जाने वाली जानकारी तथा ऐसी जानकारी के आधार पर जो रेटिंग अभिकरण द्वारा मांगी गई हो, मूल्यांकन करेगा।
- (5) प्रत्येक समानांतर विपणनकर्ता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय और ऐसे जिले के, जहां वह किरासिन का आयात, परिवहन, कूपभरण विपणन, वितरण या विक्रय करता है, कलक्टर के पास रेटिंग प्रमाणपत्र को प्रमाणित नत्थ प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। समानांतर विपणनकर्ता के सभी पत्र-शीर्षों या पत्र-व्यवहार में रेटिंग का निम्नलिखित विवरण होगा:
- (i) रेटिंग अभिकरण का नाम,
- (ii) उसे दिया गया रेटिंग, और
- (iii) जारी करने की तारीख

- (6) कोई भी समानांतर विपणनकर्ता, समाचारपत्र, लघु पत्रिका पम्फलेट, पत्रों, विज्ञापन आदि में अपूर्ण, गलत, भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी नहीं देगा या ऐसी जानकारी रेटिंग अभिकरण में प्रस्तुत नहीं करेगा",
- (ii) खंड 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूचियां और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात्:—

"अनुसूची—क

[खंड 7क(1) (क)]

समानांतर विपणनकर्ता के मूल्यांकन/रेटिंग के लिए अभिकरणों के नाम और पते—

नाम	पता
1. क्रिसिल (दि क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड)	निरलॉन हाउस, दूसरा तल, 254 बी, एन्रा वैंसेंट रोड, बर्ली, मुम्बई-400025
2. केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड)	आर. डी. सी., महिंद्रा टावर्स, पांचवां तल, रोड सं. 13, बर्ली, मुम्बई-400018
3. एम. डी. आर. ए. 4 (माकीटिंग एंड डेवलप- मेंट रिसर्च एसोसिएट्स)	सेकुलर हाउस, 9/1, इस्टीमेटेशन एरिया, 'जे. एन.यू. के सानने, नई दिल्ली-67
4. आई सी आर ए इंवेस्टमेंट इन्फोर्मेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड	कैलाश बिल्डिंग, चौथा तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

अनुसूची-ख

[किरोसिन उपयोग पर (निबंधन और अधिकतम कीमत नियतन)

आदेश, 1993 की धारा 7क (i) (ख) देखिए]

समानांतर विपणनकर्ता के लिए रेटिंग प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख:

फर्म/कंपनी का नाम:
रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता:
संपर्क/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का नाम:
क्रियाकलाप:
बैंककारों की प्रविष्टियां:

संपूर्ण रेटिंग

रेटिंग मापमान

1. अच्छा
2. समाधानप्रद
3. कम जोखिम
4. अधिक जोखिम

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

[भाग II- खण्ड 3(i)]

अनुसूची-ग

[खण्ड 7क (i) (ख) देखिए]

रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए अंग्रेषण पत्र

जिन किसी से यह संबंधित हो

प्रमाणित किया जाता है कि हमने मैसर्स**

का, उन्हें प्रमाणपत्र और रेटिंग जारी करने के प्रयोजन के लिए, किरासिन (उपयोग पर निर्वन्धन और अधिकतम कोमत आदेश, 1993 के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन कर लिया है। हमें ऐसी नभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्रमाणपत्र को जारी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक थी।

हमारे द्वारा यह प्रमाणपत्र, दस्तावेजों, अभिलेखों के संबंध में हमारी जांच और हमें प्राप्त जानकारी के निर्धारण तथा समानांतर विपणनकर्ता द्वारा वृत्तिक कारवार करने, बचनबद्ध माल और सेवाएं परिदत्त करने की क्षमता, अव-प्रचरणात्मक नेटवर्क और तत्परता के मूल्यांकन के परिणाम-स्वरूप जारी किया गया। हमारा यह सनाधान हो गया है कि हमारे द्वारा प्राप्त और एकत्रित की गई जानकारी और विशिष्टियां विहित रेटिंग प्रदान करने के संबंध में मैसर्स का मूल्यांकन करने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त हैं।

मैसर्स को रेटिंग दी गई है।

मैसर्स के संबंध में मुख्यतथ्य निम्न प्रकार हैं :-

1. योजनाबद्ध कुल निवेश।
2. अब तक किया गया कुल निवेश।
3. संप्रवर्तक की साम्या।
4. प्रवर्तन का क्षेत्र।
5. आरम्भ करने की प्रस्तावित/संभावित तारीख

**समानांतर विपणनकर्ता का नाम उपरोक्त किया जाएगा।

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

अनुसूची-घ

[खण्ड 7क (4) और खण्ड 7क (6) देखिए]

रेटिंग अभिकरण द्वारा मूल्यांकन/रेटिंग के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रोफार्मा

मापदंड व्योरे*

1. कंपनी की बाजार की मात्रा
 - क. फर्म का गठन
 - ख. रतिन्दीकृत कार्यालय
- प्रवर्तकों के अवस्थान और फर्म

मापदंड

व्योरे*

- घ. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों के नाम
 - ङ. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की पृष्ठभूमि और पूरा पूर्वदृष्ट
 - च. संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की मूल योग्यता
 - छ. वर्तमान क्रियाकलाप
 - ज. समानांतर विपणनकर्ता और/या उसकी कंपनियों के समूह के विद्यमान संक्रियाओं का व्योरे
 - झ. संप्रवर्तक फर्म और सम्बद्ध समूह का संप्रवर्तकों के गठन के व्योरे सहित तीन वर्ष का संपरीक्षित लेखा
 - ञ. प्रस्तावित स्कीम के सार सहित समानांतर विपणन से संबंधित तए कारवार के लिए कामकाज पूंजी की अपेक्षा
 - ट. पहले से ली गई प्रास्यिक परियोजनाओं को लागत, समय परियोजनाओं की प्रकृति और अन्तर्दलित प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन संबंधी अभिलेख
 - ठ. कारवार योजनाएं और परियोजनाबद्ध नकद प्रवाह
 - ड. विद्यमान और प्रस्तावित कारवारों के लिए निधियों के स्रोत जुटाना
 - ड. समानांतर विपणनकर्ता का उसकी अन्य समूह कंपनियों में आच-कर सनाजोधन प्रमाणपत्र सहित पिछले तीन वर्ष का कार्य
2. किरासिन के लिए विपणन योजनाएं
 - 2.1 किरासिन के लिए स्रोत जुटाने/संभलाई के लिए अवसंरचना
 - क. पता लगाए गए आयात अवस्थान
 - ख. आयात पान्तलों के प्रस्तावित आकार
 - ग. अनुमोदनों की प्रास्यिकि (पत्तन/कानूनी/राज्य सरकार/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/पर्यावरण/सहृमुखी नेटवर्क से प्राप्त लक्ष्य/स्थानीय प्राधिकरण)
 - घ. प्रमति की प्रास्यिकि
 - ङ. प्रौद्योगिकीय गठबंधन, यदि कोई हो, के व्योरे
 - च. कारवार संबंधी प्रस्ताव/परियोजना साध्यता रिपोर्ट/वित्तीय व्योरे और वित्तीय जांचिम विश्लेषण
 - 2.2 किरासिन के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाएं और/या महायता (यदि स्वयं की सुविधाएं योजनाबद्ध नहीं हैं।
 - क. आयातकर्ता के साथ अंतिम रूप से की गई व्यवस्था संबंधी कोई गठबंधन
 - ख. ऐसे गठबंधन के संबंध में समर्थनकारी/कारार/दस्तावेज
 - ग. न्यूनतम गारंटी के साथ आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा
 - घ. आयात अवस्थान पर उत्पाद के भंडारण और उसकी संभलाई/गठबंधन कारार के व्योरे

मापदंड व्यौरे*

उ. गठबंधन व्यवस्था के कारगर सिद्ध न होने की दिशा में कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना

3. योजनावद्ध किरोसिन के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था

क. डिपो के संबंध में उनकी क्षमता सहित भंडारण सुविधाओं के व्यौरे

ख. ऊपर उल्लिखित मदों संबंधी प्रगति की प्रास्थिति

ग. संयंत्र और उपस्कर/प्रीयोगिकीय व्यौरे

घ. जनशक्ति और उत्पाद की संभलाई के लिए व्यवस्था के व्यौरे

ङ. इन सुविधाओं की संरचना और संक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले डिजाइनों और मानकों के व्यौरे

च. सुविधाओं के अनुमोदन की प्रास्थिति

छ. क्या किरोसिन के भंडारण की सुविधा, भंडारण अनुज्ञप्ति के कोड विनियमों/गतों के अनुरूप है

4. उत्पाद को खपत केन्द्रों/वाजारों तक पहुंचाने के लिए योजनावद्ध व्यवस्थाएं

क. योजनावद्ध/पहले से नियुक्त नेटवर्क वितरकों के व्यौरे

ख. वितरकों की नियुक्ति के लिए आधार के व्यौरे

ग. योजनावद्ध/विद्यमान शोल्डर/विक्रय कक्ष/कार्यालय और गोदान के, अनुमोदन की प्रास्थिति सहित व्यौरे

घ. किरोसिन के लिए पूरे देश में/खपत केन्द्रों के समीप नियोजित की जाने वाली जन शक्ति के व्यौरे

ङ. किरोसिन के लिए पूरे देश में/खपत केन्द्रों के समीप योजनावद्ध भंडारण के व्यौरे

च. वितरकों के गोदानों और ग्राहकों के बीच वितरण व्यवस्था के व्यौरे

5. उत्पाद के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण

क. उत्पाद (किरोसिन) और उसकी संभलाई के संबंध में सक्रियतात्मक ज्ञान

ख. किरोसिन के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता और तैयारियां

ग. उपस्कर/उत्पाद की सुरक्षित संभलाई के संबंध में कर्मचारियों और ग्राहकों को प्रशिक्षण देने की योजनाएं

घ. कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति और मानक

ङ. किरोसिन नियंत्रण आदेशों, विस्फोटक संबंधी नियमों और लागू होने वाले अन्य स्थानीय अधिनियमों के संबंध में जानकारी

मापदंड व्यौरे*

6. अपनाए जाने वाले विपणन अनुशासन और प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धान्त

क. वितरकों/परिवहनकर्ता और परिधान करने वाले व्यक्तियों के लिए आचार संहिता

ख. उत्पादों के संबंध में अप्रतिश्रण और अप्राधिकृत विचलन को मानिटर और नियंत्रण करने की प्रणाली

7. किरोसिन के समानान्तर विपणन के लिए बदले में प्रस्तावित संगठन

क. संगठनात्मक ढांचे के व्यौरे

ख. संगठन के प्रबंधक के रूप में सम्मिलित होने का स्तर

ग. किरोसिन के समानान्तर विपणन, जिसमें अवतरलता सम्मिलित है, के वित्तपोषण का स्रोत

घ. ऐसे अन्य सुसंगत व्यौरे जो समानान्तर विपणन कर्ता देना चाहे

8. वित्तीय प्रतिबद्धता

क. कुल अनुमानित परियोजना लागत

ख. योजनावद्ध (फैज बार) संसाधान जुटाना

ग. तारीख _____ को की गई संसाधनों की व्यवस्था और निवेश

घ. उपरोक्त क, ख और ग के सूत यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग किए जाए

हस्ताक्षर _____

मैसर्स _____

(समानान्तर विपणनकर्ता)

तारीख _____ पता _____

टिप्पण :- नून आदेश भारत के राजपत्र में सांकांति सं० 584 (अ) तारीख 2 सितंबर, 1993 में प्रकाशित किया गया था।

[काष्ठ सं० पी० 45011/2/95-विपण देवी दयाल, संयुक्त सचिव]

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1995

G.S.R. 509(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Price) Order, 1993, namely :

1. (1) This Order may be called the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) (Amendment) Order, 1995.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

() It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993, —

(i) after clause 7 and the entries relating thereto, the following clause and the entries shall be inserted, namely :—

“7 A—Assessment and Certification|Rating of parallel marketeers,—

(i) (a) No parallel marketeer, shall commence any activity such as import, transport, marketing distribution, sale or any activity incidental thereto, relating to the business of Kerosene without obtaining a rating certificate on the basis of evaluation and rating for his capability, infrastructure network and readiness to carry out professed business and deliver goods and services promised, by an agency listed in Schedule-A to this Order :

Provided that a parallel marketeer who commences any such activity, before the commencement of this Order, shall within three months, get himself evaluated and rated by the said agency.

(b) The rating certificate shall be issued in the format as prescribed in Schedule-B to this Order and as per the forwarding letter given in Schedule-C.

(c) The rating certificate shall. —

(i) be valid for a period of one year from the date of its issue, and

(ii) require renewal by the rating agency, annually.

(2) Every parallel marketeer announcing details of his activity or inviting offers of any kind in the field of import, transport, marketing, distribution or sale of Kerosene, either in a newspaper, handout, pamphlet, leaflet or by any other means of communication or advertising shall indicate the rating awarded to him and prominently publish the rating certificate, as given by the rating agency.

(3) There shall be paid, in respect of every application, to a rating agency,—

(i) for the rating certificate awarded to the parallel marketeer, a fee at the rate of 0.05 percent of the project cost, subject to a minimum of rupees fifty thousand and maximum of rupees ten lakhs, and

(ii) for the renewal of the rating certificate by the parallel marketeer, a fee of one tenth of that required to be paid for such a certificate.

(4) The agency listed for the purpose of evaluation shall on payment of the fee by the parallel marketeer, evaluate every parallel marketeer whose case is either referred to it or who approaches it, on the basis of, inter-alia, the parameters indicated and the information to be provided by such parallel marketeer in the proforma as given in Schedule-D to this Order and such other information as called for by the rating agency.

(5) Every parallel marketeer shall file a certified true copy of the certificate of rating with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Oil Coordination Committee, Ministry of Food and Civil Supplies of the Central and the State Governments and the Collector of the District in which he imports, transports, markets, distributes or sells Kerosene. All letter-heads or communications of parallel marketeer shall have the following description of rating :

(i) Name of the rating agency,

(ii) Rating awarded to him, and

(iii) Date of Issue.

(6) No parallel marketeer shall either give incomplete, incorrect, misleading or vague information in the newspaper, handout, pamphlet, leaflet, advertisement etc. or submit such information to the rating agency”,

(ii) after clause 12 and the entries relating thereto, the following Schedules and the entries shall be added, namely :—

SCHEDULE—A

[clause 7A(1)(a)]

Name and address of agencies for evaluation|rating of Parallel Marketeer

Name	Address
1. CRISIL (The Credit Rating Information Services of India Ltd.)	Nirlon House, 2nd floor 254 B, Annie Besant Road Worli, Bombay—400025
2. CARE (Credit Analysis & Research Ltd.)	RBC, Mahindra Towers 5th Floor, Road No. 13, Worli Bombay—400018
3. MDRA (Marketing & Development Research Associates)	Secular House, 91 Institutional Area, Opp. JNU, New Delhi—67
4. ICRA Investment Information Credit Rating Agency of India Ltd.)	Kailash Building, 4th Floor 26, Kasturba Gandbi Marg New Delhi—1.

SCHEDULE—B

(See clause 7A(1)(b)) of Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993
Rating Certificate for Parallel Marketeer

Date of Issue :—

Name of the Firm/Company :
Registered Office Address :
Name of Promoter/Chairman/Managing Director :
Activities :
Particulars of Bankers :

Overall Rating :

Rating Scale

1. Good
2. Satisfactory
3. Low Risk
4. High Risk

Signature and Seal of the
Rating Agency

SCHEDULE—C

[See clause 7A(1)(B)]

Forwarding Letter for Certificate of rating
To whomsoever it may concern

This is to certify that we have made an evaluation of M/s _____ for the purpose of issuing a certificate and a rating to them in accordance with the provisions of the Kerosene (Restriction on Use and Fixation of Ceiling Price) Order, 1993.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of issuing this certificate. This certificate issued by us is as a result of our examination of the documents, records and assessment of the information obtained by us and the evaluation of capability, infrastructure, network and readiness, to carry out professed business, deliver goods and services promised by the parallel marketeer. We are satisfied that the information and particulars received and collected by us are sufficient enough

to enable us to evaluate M/s. _____ for providing the rating as prescribed. M/s. _____ are awarded-----

rating.
Salient facts about M/s. _____ are as follows :—

1. Total investment planned.
 2. Total investment made upto date.
 3. Promoter's equity.
 4. Area of operation.
 5. Proposed likely date of commissioning.
- ** Name of the parallel marketeer to be indicated.
(Signature and seal of the Rating Agency)

SCHEDULE—D

[See Clause 7A(4) and (6)]

Proforma of Information to be submitted by Parallel Marketeer for Evaluation/Rating by the Rating Agency

PARAMETERS

DETAILS

1. Market Standing of the Company -

- A. Constitution of the firm
- B. Registered Office
- C. Locations & Addresses of Existing Businesses
- D. Names of Promoters/Directors/Partners
- E. Background and full antecedents of promoters/Directors/Partners
- F. Networth of Promoters/Directors/Partners
- G. Current Activity
- H. Details of existing operations of the Parallel Marketeer and/or his group of companies
- I. Audited A/c's for three years of the promoter firm and group concerns with details promoters constitution
- J. Working capital requirement for new business pertaining to Parallel Marketing with resume of proposed scheme.
- K. Implementation record of typical projects already undertaken, in terms of cost, time, nature of projects and technology involved.
- L. Business plans and projected cash flows
- M. Sourcing of funds for existing and proposed Business.
- N. Performance of Parallel Marketeer in other group companies for last three years with income tax clearance certificate.

2. Marketing Plans for Kerosene :

2.1 Infrastructure for Kerosene Sourcing/Handling:

- A. Import Locations Identified
- B. Proposed size of import parcels
- C. Status of approvals (ports/statutory/Government Chief Controller of Explosives/environment milestone achieved with secured network/local authorities).
- D. Status of Progress.
- E. Details of Technological tie ups, if any
- F. Business proposals/Project Feasibility : financial details and financial risk analysis.

2.2 Commercial arrangements and/or consortium kerosene (if own facilities are not planned)

- A. Any tie up arrangement finalised importer
- B. The supporting agreements/documents such tie up

PARAMETERS	DETAILS*	PARAMETERS	DETAILS*
	<p>C. The quantum of product to be imported with minimum guarantee.</p> <p>D. Details of Storage & Handling of product at the import location/tie up agreement.</p> <p>E. Fall back arrangement to meet the short-fall in case the tie up arrangement does not materialise.</p> <p>3. Storage & Distribution arrangement for kerosene planned :</p> <p>A. Details of Storage facilities of Depots with their capacities .</p> <p>B. Status of progress on items mentioned above</p> <p>C. Plant & Equipment/Technological details</p> <p>D. Details of manpower and the arrangement to handle the product</p> <p>E. Details of designs & standards to be followed for construction & operation of these facilities</p> <p>F. Status of approvals for the facilities</p> <p>G. Whether Kerosene storage facility conforms to code regulations/conditions of storage licence.</p> <p>4. Arrangements planned to reach the product to consumption Centres/ Markets :</p> <p>A. Details of distributor network planned/already appointed.</p> <p>B. Details of the basis for distributors appointment.</p> <p>C. Details of showroom/sales room/office & godown planned/existing alongwith status of approvals.</p> <p>D. Details of manpower to be deployed at upcountry/near consumption centres for Kerosene.</p> <p>E. Details of storage planned at upcountry/near the consumption centre for Kerosene</p> <p>F. Details of Distribution arrangement between the distributors godown and the customers.</p> <p>5. Product Familiarity and Training :</p> <p>A. Operational knowledge of product (Kerosene) and its handling.</p> <p>B. The capability and preparedness to meet the safety requirement in Kerosene.</p>	<p>C. Plans for training the staff and the customers on safe handling of equipment/product.</p> <p>D. Recruitment policy and standards for the staff.</p> <p>E. Familiarity with Kerosene Control Orders, Explosives Rules and other applicable local acts.</p> <p>6. Marketing Discipline & Guidelines proposed to be adopted :</p> <p>A. Code of conduct for distributors transporter and delivery men.</p> <p>B. System to monitor & control adulteration & unauthorised diversion of products.</p> <p>7. Organisation in place/proposed for the parallel marketing of Kerosene:</p> <p>A. Details of Organisational Structure.</p> <p>B. Level of managerial involvement of the promoter.</p> <p>C. Source of financing the Kerosene parallel marketing including the infrastructure.</p> <p>D. Any other relevant details which the parallel marketer would like to provide.</p> <p>8. Financial commitment —</p> <p>A. Total estimated project cost.</p> <p>B. Planned (phase-wise) resource mobilisation.</p> <p>C. Resources arranged and investment made as of date...</p> <p>D. Proof of A, B & C above.</p> <p>* Extra Sheets may be used if required.</p>	
		<p>Date.....</p> <p>Signature.....</p> <p>M's.....</p> <p>(Parallel Marketeer)</p> <p>Address :</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
		<p>Note :— The principal Order was published in the Gazette of India vide number GSR 584(E) dated the 2nd September, 1993.</p> <p>[File No. P-45011/2195-Mkt]</p> <p>DEVI DAYAL, Jt. Secy.</p>	